सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248006

दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 6765 / उ0सू0आ0/2023–24 दिनांक 20.9. 2023

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप सूचना का अनुरोध पत्र और प्रथम अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः देखने में आया है कि सूचना का अनुरोध पत्रों और प्रथम अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 और सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन व उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अनुरोधकर्ताओं के द्वारा भी आयोग में शिकायत की जाती रही हैं। द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई के मध्य भी संज्ञान में आया है कि लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अधिकांशतः की जाने वाली छोटी–छोटी त्रुटियों के कारण अनुरोधकर्ता को विलम्ब से सूचना प्राप्त होती है। सूचना का अनुरोध पत्र अथवा प्रथम अपील के निस्तारण के समय लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे अनुरोधकर्ताओं को समय से सूचना प्राप्त हो सके –

1. कतिपय लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये जाने वाले पत्राचार, पंजीकृत डाक के माध्यम से न करते हुए साधारण डाक के द्वारा किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में पत्र प्राप्त न होने की शिकायत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास पुष्टि हेतु कार्यालय अभिलेख (डिस्पेच पंजिका और एस0पी0एस0 पंजिका) के सिवाय ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके द्वारा वास्तव में पत्र भारतीय डाक के माध्यम से भेजा गया है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो भी पत्राचार किये जाएं वह पंजीकृत डाक के माध्यम से ही किये जाएं।

2. निर्धारित शुल्क के साथ सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित तो नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दो से अनाधिक्य लोक प्राधिकारी से संबंधित सूचना होने पर, संबंधित लोक प्राधिकारी को अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कार्यालय में अनुरोध पत्र प्राप्त की तिथि से यथाशीघ्र परन्तु अधिकतम 05 दिवस में पंजीकृत डाक के माध्यम से अवश्य अंतरित कर दिया जाना चाहिए। अनुरोध पत्र का जो बिन्दु अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है, का भी

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और ऐसे अन्तरण की सूचना अनुरोधकर्ता को भी अवश्य दी जानी चाहिए। अनुरोध पत्र के अंतरण के समय ही यदि विभाग से संबंधित मांगी गयी सूचना का कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं होने पर, उसे स्पष्ट किये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोधकर्ता से अनुरोध किया जाना चाहिए। अनुरोधकर्ता के द्वारा अनुरोध पत्र में अपना मो0नम्बर या ई–मेल यदि उपलब्ध कराया गया है तो उक्त के माध्यम से भी मांगी गयी सूचना जो स्पष्ट नहीं है, के संबंध में यथास्थिति ज्ञात की जा सकती है।

3. जब अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना का सम्बन्ध दो लोक प्राधिकारियों से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को अपने विभाग से संबंधित सूचना हेतु शुल्क की मांग करते समय या सूचना प्रेषित किये जाते समय, अनुरोधकर्ता को अन्य लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता से यदि उन्हें ज्ञात है अवगत कराना चाहिए। अन्य लोक प्राधिकारी के सम्बन्ध में जानकारी न होने पर संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी से पृथक से अनुरोध किये जाने हेतु अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाना चाहिए।

4. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा शुल्क की मांग का आंकलन अनुरोध पत्र के सापेक्ष बिन्दुवार किया जाना चाहिए।

5. अनुरोध पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्रेषित न किये जाने या किसी अन्य आधार पर अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र अस्वीकार किये जाने के आधार से अवश्य अवगत कराया जाना चाहिए।

6. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र अस्वीकार किये जाने, शुल्क की मांग किये जाने या सूचना प्रेषित किये जाने पर संबंधित पत्र में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पूर्ण पता पिन कोड के साथ, दूरभाष/मो0 नम्बर, ईमेल का अवश्य उल्लेख किया जाए। संबंधित पत्रों में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा भी अपना नाम, पदनाम, कार्यालय का पूर्ण पता पिन कोड के साथ, दूरभाष/मो0 नम्बर, ईमेल का अवश्य उल्लेख किया जाए।

7. उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के तहत यदि शुल्क की मांग की जानी है तो अनुरोधकर्ता को यथासम्भव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

8. सूचना प्रदान किये जाते समय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा और प्रथम अपील के निस्तारण के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8, 9, 10 एवं 11 का भी अवश्य अनुपालन किया जाना चाहिए।

9. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो भी सूचना प्रदान की जाती है, वह लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए जिसमे लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

10. प्रथम अपील के निस्तारण के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा यह भी संज्ञान लिया जाना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 और सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन व उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सूचना का अनुरोध पत्र का निस्तारण किया गया है अथवा नहीं।

11. प्रथम अपील के निस्तारण के समय अनुरोधकर्ता के द्वारा मांगी गयी सूचना के सापेक्ष लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का बिन्दुवार संज्ञान लिया जाए। इस मध्य यदि अपीलीय अधिकारी यह पाते हैं कि लोक सूचना अधिकारी के

द्वारा अनुरोधकर्ता के किसी बिन्दु विशेष की सूचना आंशिक या पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की गयी है तो उक्त बिन्दु के सापेक्ष जो सूचना वास्तव में अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है, का अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख करते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित करना चाहिए और संबंधित प्रथम अपील में आगामी तिथि प्रदान की जाए और अगली सुनवाई की तिथि को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोधकर्ता को समस्त सूचना प्रेषित कर दी गयी है, की पुष्टि करते हुए, प्रथम अपील का निस्तारण करना चाहिए। विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण सामान्यतः अनुरोध पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 दिन परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 45 दिवस के अन्दर किया जाना होगा।

12. यदि अनुरोधकर्ता के द्वारा प्रथम अपीलीय पत्र में प्रथम अपील किये जाने का आधार, अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के सापेक्ष किसी बिन्दु की सूचना अनुरोधकर्ता को प्राप्त नहीं हुई है या अन्य कोई बिन्दु जो प्रथम अपील के निस्तरण हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी उपयुक्त समझाते हैं, से अवगत नहीं कराया गया है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील तिथि की सूचना प्रेषित करते समय इसका भी स्पष्ट उल्लेख करते हुए, ई–मेल द्वारा, लिखित में अथवा स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई से पूर्व अथवा सुनवाई के समय यथास्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोधकर्ता से अनुरोध किया जाए। अनुरोधकर्ता के द्वारा विशेष परिस्थितियों में दूरभाष से पक्ष रखे जाने हेतु अनुरोध किया जाने पर उनका पक्ष दूरभाष के माध्यम से सुने जाने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

13. किसी कारणवश प्रथम अपील की सुनवाई को अपीलीय अधिकारी के द्वारा स्थगित किया जाता है तो अपीलीय अधिकारी को यथाशीघ्र इसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी के साथ–साथ यदि अनुरोधकर्ता के द्वारा दूरभाष नम्बर या ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, पर प्रदान की जानी चाहिए। यदि सूचित किये जाने हेतु पर्याप्त समय है तो यथाशीघ्र संशोधित तिथि का पत्र संबंधित को प्रेषित किया जाना चाहिए।

14. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण आदेश में अपना नाम व पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रथम अपील के निस्तारण आदेश से संतुष्ट न होने पर 90 दिन के अन्दर द्वितीय अपील की जा सकती है जिस हेतु "सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंग रोड, लाड़पुर देहरादून –248006" का पता का उल्लेख भी प्रथम अपील के निस्तारण आदेश में अवश्य किया जाए।

15. सूचना प्राप्त करना भारत के नागरिक का एक मौलिक अधिकार भी है। सूचना मांगने वाले नागरिक के साथ समस्त कार्मिकों के द्वारा सद्भाव पूर्ण व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। ऐसा न किये जाने पर यदि किसी नागरिक के द्वारा शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करायी जाए। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर दोषी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाए।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभागों को प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों और प्रथम अपीलों के निस्तारण के समय उपरोक्त बिन्दुओं का भी अनुपालन किये जाने हेतु अपने–अपने विभाग में नामित समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

20/9/23

(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त